विविध/215-PBR-16

समक्ष माननीय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर

विविध प्रकरण कमांक /2015–16

विजय बोरा आयु लगभग 67 वर्ष
आत्मज स्व. श्री मूलचंद बोरा
निवासी म.नं. 3, ईदगाह हिल्स, भोपाल ——— आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा जिलाध्यक्ष रायसेन ——— अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 8 म.प्र. भू. रा. संहिता 1959

आवेदक निम्नानुसार निवेदित है :–

1/ यह कि आवेदक के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा कमांक 52/21/1 रकवा 3.50 एकड़ एवं 52/21/124 रकवा 1 एकड़ कुल 4.50 एकड़ जिसके नवीन खसरा कमांक 31 एवं 32 होकर उक्त भूमि ग्राम अगरिया चोपड़ा तहसील एवं जिला रायसेन में स्थित है।

2/ यह कि उपरोक्त भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी रायसेन द्वारा आदेश दिनांक 31/03/1997 द्वारा उक्त भूमि म.प्र. कृषि जोत, उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत अति शेष भूमि घोषित किए जाने के विरूद्ध आवेदक द्वारा संयुक्त स्वामियों के साथ अपील माननीय मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसकी सुनवाई की जाकर दिनांक 18/11/2011 के आदेश के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर उक्त आलोच्य आदेश दिनांकित 31/03/1997 निरस्त कर आवेदक के स्वत्वों की पुष्टि की गई एवं संबंधित अनुविभागीय अधिकारी रायसेन को निर्देशित किया गया कि वह उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में राजस्व अभिलेख में हुए संशोधन को सुधार कर आवेदक को भूमि स्वामि दर्ज करें।

3/ यह कि उपरोक्त पारितआदेश की प्रतिलिपि मय आवेदन के साथ उक्त अनुविभागीय अधिकारी रायसेन के समक्ष दिनांक 11/02/2013 को प्रस्तुत किए जाने के बावजूद आज पर्यन्त उक्त आदेश की पालना नहीं की गई है, जिस कारण आवेदक एवं संयुक्त भमि स्वामियों के अधिकार प्रभावित हो रहें हैं तथा वर्तमान में राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टि अनुसार उक्त भूमि राजस्व अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से उपयोग में लाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

4/ यह कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थियों के अन्तर्गत यह आवश्यक हुआ कि समस्त तथ्य श्रीमान मण्डल के समक्ष लायें जावें जिससे संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाने की कार्यवाही की जा सके।

5/ यह कि प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर माननीय मण्डल द्वारा तथ्यों का संज्ञान लिया जाकर अपने सुपरवाईजरी अधिकारों का उपयोग करते हुए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी रायसेन को अनावेदक के माध्यम से आवश्यक निर्देश दिया जाना उचित होगा।

अतएव माननीय मण्डल से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि धारा 8 के अन्तर्गत वेष्ठित अधिकारों का उपयोग करते हुए अनुविभागीय अधिकारी रायसेन को माननीय मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18/11/2011 की पालना कर राजस्व अभिलेख में दुरस्ति कराई जाकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु न्यायहित में निर्देशित किए जाने के आदेश पारित किए जावें।

दिनांक :

आवेदक
द्वारा
अधिवक्ता

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 45–पीबीआर/2016 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.4.16	आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया । आवेदक के द्वारा राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–11–2011 का पालन कराये जाने के संबंध में यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । 2/ समान प्रकृति के प्रकरण कमांक रिव्यु 735–पीबीआर/2016 तथा रिव्यु प्रकरण कमांक 736–पीबीआर/16 के निराकरण के दौरान संबंधित पक्षकार के द्वारा इस न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 18–11–2011 प्रस्तुत किया गया था । उस दौरान अवलोकन पर यह पाया गया था कि उक्त आदेश पारित करने में राजस्व मण्डल के द्वारा विधिक त्रुटि की गई है तथा मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 के मूल अधिनियम (अनअमेंडेड) के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण को अमेंडेड अधिनियम के अन्तर्गत मानकर यह आदेश पारित किया गया है अतः यह निर्णय लिया गया था कि इस प्रकरण का पृथक से परीक्षण कर न्यायोचित कार्यवाही की जायेगी । 3/ 1981 आर.एन.245 देवेन्द्र विजयसिंह जूदेव विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया है कि "असंशोधित अधिनियम के अधीन लंबित प्रकरणों में आगे की समस्त कार्यवाही असंशोधित अधिनियम के अधीन पूरी की जायेगी न कि संशोधित अधिनियम के अधीन ।" उक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण कमांक अपील 2664–दो/2002 में पारित आदेश दिनांक 18–11–2011 को स्वमेव पुनर्विलोकन में लिया जाना आवश्यक है । 4/ उक्त निर्णय के प्रकाश में आवेदक द्वारा म.प्र.भू–राजस्व संहिता की धारा 8 के आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही किया जाना न्यायोचित न होने से उक्त आवेदन पत्र को नस्तीबद्ध किया जाता है तथा आदेश दिनांक 18–11–2011 को स्वमेव पुनर्विलोकन में लेते हुये प्रकरण स्वमेव पुनर्विलोकन हेतु खण्डपीठ को विचार हेतु सौंपा जाता है । 5/ उक्त स्वमेव पुनर्विलोकन प्रकरण के लिये खण्डपीठ का निम्नानुसार गठन किया जाता है :– 1–श्री मनोज गोयल, अध्यक्ष 2–श्री के0सी0जैन, सदस्य अध्यक्ष	